

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण शाखा) कटनी म0प्र0

पृ0क्रमांक/आ0जा0क0/निर्माण/2012-13/680

कटनी,दिनांक 14/3/13

आदेश

मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग भोपाल के बुक ऑफ फायनेशियल पावर 1995 भाग - दो के पृष्ठ क्रमांक 138 की कंडिका क्रमांक 18 के तहत निम्नानुसार कार्यों की विभागीय सहायक यंत्री आदिवासी विकास मण्डला उपखण्ड कटनी द्वारा दी गई तकनीकी स्वीकृति के आधार पर राशि स्वीकृत करते हुये प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0	कार्य का नाम	तकनीकी स्वीकृति राशि	प्रशासकीय स्वीकृति राशि	कार्यकारी एजेन्सी
1	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण भाग-1	5.00	5.00	विभागीय
2	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण भाग-2	5.00	5.00	विभागीय
3	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण भाग-3	5.00	5.00	विभागीय
4	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी.सी.रोड निर्माण भाग-4	5.00	5.00	विभागीय
5	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में नाली निर्माण भाग-1	5.00	5.00	विभागीय
6	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में नाली निर्माण भाग-2	5.00	5.00	विभागीय
7	ग्राम बूढ़ा विकास खण्ड रीठी में घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में नाली निर्माण भाग-3	5.00	5.00	विभागीय
योग:-		35.00	35.00	

- उक्त कार्य 6 माह के भीतर पूर्ण कर कार्य पूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ दो-दो रंगीन फोटोग्राफ उपलब्ध करायें।
- प्रशासकीय स्वीकृति से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जावे।
- स्वीकृत कार्य प्राक्कलन अनुसार घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में ही कराया जावे।

13.3.13
कलेक्टर

जिला - कटनी (म0प्र0)
कटनी,दिनांक 14/3/13

पृ0क्रमांक/आ0जा0क0/निर्माण/2012-13 680A

प्रतिलिपि :-

- आयुक्त, घुमक्कड एवं अर्द्धघुमक्कड अनु.जाति विकास म0प्र0भोपाल ।
- संभागीय उपायुक्त, आदिवासी तथा अनुसूचित जाति विकास जबलपुर संभाग जबलपुर।
- मुख्यकार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत
- मुख्यकार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत..... ।
- कार्यपालन अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा
- विभागीय सहायक यंत्री आदिवासी विकास मण्डला उपखण्ड कटनी की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- लेखा शाखा आदिम जाति कल्याण
- संबंधित निर्माण एजेन्सी
- को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- आदेश पत्रावली हेतु।

13.3.13
कलेक्टर

जिला - कटनी (म0प्र0)

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
विमुक्त, घुमक्कड एवं
अर्द्धघुमक्कड कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

कार्यालय कलेक्टर (आदिम जाति कल्याण) कटनी म0प्र0

क्रमांक/आ0जा0क0/निर्माण/2012-13/ 693
प्रति,

कटनी, दिनांक 18/3/13

श्री रामानन्द पाण्डे
ठेकेदार
शास्त्री बिहार, दमोह नाका,
जबलपुर (म0प्र0)

कार्य आदेश

- संदर्भ :- अनुबंध दिनांक :- 26/07/2012
1. कार्य का नाम :- घुमकड़ अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय)की बस्तियों में सी0सी0 रोड निर्माण (संलग्न सूची अनुसार)
 2. निर्माण एजेन्सी/ ठेकेदार :- श्री रामानन्द पाण्डे
 3. कार्य का प्रकार :- सिविल कार्य
 4. कार्य की लागत :- 35.00 लाख मात्र।
 5. कार्य पूर्ण करने की अवधि :- 12 माह
 6. कार्य की स्वीकृत दर :- लोक निर्माण विभाग के 15.06.2009 के प्रचलित एस.ओ.आर. एवं आंतरिक विद्युतीकरण के लिये 01.04.2008 एस.ओ.आर. से 4.98% अधिक (न्यूनतम निविदा दर) पर।

संबंधित ठेकेदार अपने अनुबंधानुसार विभागीय उपयंत्री/सहायक यंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त कर कार्य प्रारंभ करें। समयावधि में कार्य पूर्ण नहीं किये जाने एवं कार्य के दौरान गुणवत्ता आदि की शिकायत पाये जाने पर जांच की जाकर दिया गया कार्य आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा। तथा नियमानुसार वसूली/दाण्डक ब्याज की कार्यवाही की जा सकेगी।

कार्य का निरीक्षण जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण द्वारा समय - समय पर किया जावेगा एवं मूल्यांकन तथा सत्यापन के अनुसार भुगतान किया जावेगा।

कार्य की गुणवत्ता के लिये ठेकेदार एवं विभागीय उपयंत्री/सहायक यंत्री जिम्मेदार रहेंगे।
संलग्न :- उपरोक्तानुसार कार्यों की सूची

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण
कटनी (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/आ0जा0क0/निर्माण/2012-13/ 693A
प्रतिलिपि :-

कटनी, दिनांक 18/3/13

- 1- श्री प्रशांत कुमार श्रीवास्तव, विभागीय उपयंत्री/सहायक यंत्री आदिवासी विकास मण्डला उपखण्ड कटनी। आपको निर्देशित किया जाता है कि, संलग्न सूची अनुसार स्वीकृत कार्य शीघ्र पूर्ण कराकर कार्यपूर्णता/उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 2- कार्यालयीन लेखा शाखा/निर्माण शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
विमुक्त, घुमकड़ एवं
अर्धघुमकड़ कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण
कटनी (म0प्र0)

कार्यों की सूची

प्रशासकीय स्वीकृति आदेश क्रमांक 230 दिनांक 28.01.2013

क्र.	कार्य का नाम	प्रशासकीय स्वीकृति राशि
1	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण भाग 1	5,00,000/-
2	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण भाग 2	5,00,000/-
3	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण भाग 3	5,00,000/-
4	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में सी0सी0रोड निर्माण भाग 4	5,00,000/-
5	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में नाली निर्माण भाग 1	5,00,000/-
6	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में नाली निर्माण भाग 2	5,00,000/-
7	ग्राम बूढ़ा विकासखण्ड रीठी में घुमकड़ एवं अर्धघुमकड़ जनजाति (पारधी समुदाय) द्वारा निवासरत बस्ती में नाली निर्माण भाग 3	5,00,000/-
	योग:-	35,00,000

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन,
विमुक्त, घुमकड़ एवं
अर्धघुमकड़ कल्याण विभाग,
मंत्रालय, भोपाल

जिला संयोजक
आदिम जाति कल्याण
कटनी (म0प्र0)